|

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारीः— चिरंजीलाल दायमा, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :— 2/2014 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :—
1. हुरमत पुत्र सिताब जाति मेव
2. नूरमौहम्मद पुत्र सिताब जाति मेव
निवासीगण झिवाण तह. तिजारा जिला अलवर ।

:—–– अपीलांटस वादीगण

बनाम

1. नसरूद्दीन पुत्र भागमल
2. अरसद
3. आरिफ पुत्रान मिसरू
4. हसीन पुत्र मिसरू
5. इसराईल
6. इब्राहिम पुत्रान भागमल
7. जैनती पुत्री भागमल
8. मजीद
9. सहीद
10. वहीद
11. फजरू
12. आसू पुत्रान असलूप
13. फजरी
14. वहीदन
15. आसूबी पुत्रीयान असलूप कौम मेव साकिन झिवाणा तहसील तिजारा जिला अलवर ।
16. हबीब
17. जमशेद
18. अरसद पुत्रान बसीर
19. रहमती बेवा बसीर कौम मेव साकिन झिवाणा तहसील तिजारा जिला अलवर ।

(हस्ताक्षर)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

अपील विरूद्ध निर्णय दि0 19.12.13 व डिक्री
दि0 27.12.13 द्वारा उपखंड अधिकारी,तिजारा

उपस्थित	:–	1.	वकील अपीलांट	:– श्री लक्ष्मणसिंह पोसवाल
		2.	वकील रेस्पो0	:– बावजूद सूचना उपस्थित नहीं

निर्णय — दिनांक 29.02.2016

1. प्रस्तुत अपील न्यायालय उपखंड अधिकारी,तिजारा द्वारा राजस्व वाद संख्या 223/2011 उनवान नूरमौहम्मद बनाम नसरूद्दीन वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.12.2013 के विरूद्ध है, जिस निर्णय के द्वारा वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89 व 188 आर0 टी0 एक्ट खारिज किया गया है ।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार वादी अपीलांट ने तहत न्यायालय उपखंड अधिकारी,तिजारा में वाद पत्र इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 174 मिन रकबा 4 बीघा 09 बिस्वा, 76 मिन रकबा 12 बिस्वा, जिसके हाल खसरा नम्बर 242/0–15, 243/0–14, 246/0–16, 249/0–16, 250/0–10, 253/0–18, 334/0–12 बीघा वाके ग्राम झिवाणा तहसील तिजारा का निस्फ भाग वादी के पिता सिताब खां का तथा निस्फ भाग प्रतिवादीगण के बुजुर्गान भागमल, धुधंल, असलूप की कब्जा काश्त खातेदारी का था । साबिक रेकार्ड में इसी प्रकार का इन्द्राज हो रहा है । परन्तु सम्वत 2029 में बंदोबस्त के दौरान सालिम आराजी को प्रतिवादीगण एवं उनके बुजुर्गान के नाम दर्ज कर दी गई, जो इन्द्राज आज तक चला आ रहा है । अतः दावा डिक्री किया जाकर दुरूस्ती के आदेश दिये जावे । तहत न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश द्वारा उक्त वाद पत्र खारिज किया है, जिसकी यह अपील वादी अपीलांट ने पेश की है ।

3. बहस में विद्वान वकील अपीलांट का कथन है कि विवादित भूमि के 1/2 भाग पर मेरे पिता सिताब खां एवं 1/2 भाग पर रेस्पो0 प्रतिवादीगण के बुजुर्गान का कब्जा काश्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं राजस्थान जमींदारी बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम लागू होने के दिन एवं उससे पूर्व से ही चला आ रहा है । हमारे पिता के बाद हम भूमि पर काबिज हो गये । हमको बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ खातेदारी हकूक प्राप्त हो चुके हैं । परन्तु बंदोबस्त सम्वत 2029 में गलत तौर पर सम्पूर्ण आराजी पर रेस्पो0 को खातेदार दर्ज कर दिया गया । जबकि बंदोबस्त विभाग को साबिक रिकार्ड के इन्द्राजात को रिपीट करने का ही अधिकार है, इन्द्राज परिवर्तन करने का उसे अधिकार नहीं है । मैंने मेरे दावे को दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी सम्वत 2012, 2016 से साबित कराया है,जिनमें मेरे पिता सिताब के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज है । परन्तु फिर भी गलत तौर पर दावा खारिज कर दिया गया । अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जावे । विद्वान वकील अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन में आर0 आर0 टी0 2015(2) पेज 1214, 1969

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन

Scanned by CamScanner

आर० आर० डी० 231, 1993 आर० आर० डी० 44 (एस०सी०), 2003 (2)आर० आर० टी० पेज 957, 2008(1) आर० आर० टी० 151 (एच० सी०) का हवाला दिया ।

4. रेस्पो० बावजूद सूचना उपस्थित नहीं ।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2029 प्रदर्श–1 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 174 मिन रकबा 15 बिस्वा से हाल नम्बर 242 रकबा 15 बिस्वा, साबिक नम्बर 174 मिन 14 बिस्वा से हाल नम्बर 243 रकबा 14 बिस्वा, 174 मिन रकबा 16 बिस्वा से हाल नम्बर 246 रकबा 16 बिस्वा, साबिक नम्बर 174 मिन रकबा 16 बिस्वा से हाल नम्बर 249 रकबा 16 बिस्वा, साबिक नम्बर 174 मिन रकबा 10 बिस्वा से हाल नम्बर 250 रकबा 10 बिस्वा, साबिक नम्बर 174 मिन रकबा 18 बिस्वा से हाल नम्बर 253 रकबा 18 बिस्वा तथा साबिक नम्बर 76 मिन रकबा 12 बिस्वा से हाल नम्बर 334 रकबा 12 बिस्वा बनना पाये जाते हैं । बंदोबस्त विभाग की जमाबन्दी सम्वत 2029 प्रदर्श–2 में विवादित आराजी खसरा नम्बर हाल 242, 243, 246, 249, 250, 253, 334 पर भागमल, धुधंल, असलफ पिसरान निवाज खां हिस्सा बराबर कौम मेव साकिन देह खातेदार का अंकन किया हुआ है । जमाबन्दी सम्वत 2012 प्रदर्श–3 में विवादित आराजी पर भागमल, धुन्धल, असलप समभाग निस्फ, शिताब निस्फ हिस्सेदारान का अंकन किया हुआ है । इसी प्रकार का इन्द्राज जमाबन्दी सम्वत 2016 में भी किया हुआ है । हाल जमाबन्दी सम्वत 2065 प्रदर्श–4 में नसरूद्दीन वगैरा को खातेदार दर्ज किया हुआ है ।

6. उपरोक्त समस्त राजस्व रेकार्ड्स के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि बंदोबस्त सम्वत 2029 से पूर्व सम्वत 2012, 2016 में अपीलांट के पिता सिताब खां का नाम 1/2 भाग पर दर्ज था । परन्तु बंदोबस्त सम्वत 2029 में बिना किसी सक्षम प्राधिकारी/न्यायालय के आदेश के वादी अपीलांट के पिता सिताब खां का नाम हटा दिया गया और सम्पूर्ण आराजी रेस्पो० के बुजुर्गान के नाम खातेदारी में दर्ज कर दी गई । जबकि 1/2 भाग पर वादी अपीलांट के पिता सिताब खां का नाम दर्ज करना चाहिये था । बंदोबस्त विभाग को साबिक रेकार्ड को परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है, उसे सिर्फ पुराने इन्द्राजात को ही दोहराने का अधिकार है । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1956 लागू होने के दिन अर्थात सम्वत 2012 में तथा राजस्थान जमींदारी बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम, 1959 लागू होने के दिन अर्थात सम्वत 2016 में भी वादी अपीलांट का पिता सिताब खां आराजी पर काबिज था । इसलिये बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ उसे खातेदारी अधिकार हासिल हो चुके थे । परन्तु बंदोबस्त सम्वत 2029 में उसका नाम कलमजन कर दिया गया और उसके स्थान पर सम्पूर्ण आराजी पर रेस्पो० के बुजुर्गान को खातेदार दर्ज कर दिया,जिसे कि न्यायोचित नहीं कहा जा सकता । विद्वान तहत न्यायालय ने वादी अपीलांट का वाद पत्र इस आधार पर खारिज किया है कि सम्वत 2017 से भू प्रबन्ध सम्वत 2029 के मध्य का कोई रेकार्ड पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है,इससे भू प्रबन्ध से ठीक पूर्व विवादित आराजी के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं होती है । विद्वान तहत न्यायालय का यह विवेचन न्यायोचित नहीं है । क्योंकि सम्वत 2012 व 2016 की जमाबन्दी रिकार्ड ऑफ राईट होता है । इसी से स्वामित्व का निर्धारण होता है । विद्वान

Scanned by CamScanner

वकील अपीलांट द्वारा पेश की गई नजीरें इस प्रकरण का लागू होती है । लिहाजा अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य है ।

7. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विद्वान तहत न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.12.2013 एवं डिक्री दिनांक 27.12.2013 निरस्त किये जाते हैं तथा वादी अपीलांट का वाद इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 242 रकबा 15 बिस्वा, 243 रकबा 14 बिस्वा, 246 रकबा 16 बिस्वा, 249 रकबा 16 बिस्वा, 250 रकबा 10 बिस्वा, 253 रकबा 18 बिस्वा, 334 रकबा 12 बिस्वा वाके ग्राम झिवाणा तहसील तिजारा जिला अलवर के निस्फ भाग का वादी अपीलांट को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है । उपरोक्त आराजी के 1/2 भाग (निस्फ भाग) पर से प्रतिवादीगण रेस्पो0 का नाम कलमजन किया जाकर उसके स्थान पर वादी अपीलांट का नाम बतौर खातेदार दर्ज किया जावे । तदनुसार राजस्व रेकार्ड में दुरूस्ती की जाकर अमल दरामद किया जावे ।

8. निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । पर्चा डिक्री जारी हो । तहत पत्रावली लौटाई जावे । पत्रावली फैसल शुमार हो ।

(चिरंजीलाल दायमा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

Scanned by CamScanner

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारीः– चिरंजीलाल दायमा, आर० ए० एस०)

अपील संख्या :– 2/2014 अन्तर्गत धारा 223 आर० टी० एक्ट

उनवान :–
1. हुरमत पुत्र सिताब जाति मेव
2. नूरमौहम्मद पुत्र सिताब जाति मेव
निवासीगण झिवाण तह. तिजारा जिला अलवर ।

:—— अपीलांटस वादीगण

बनाम

1. नसरूद्दीन पुत्र भागमल
2. अरसद
3. आरिफ पुत्रान मिसरू
4. हसीन पुत्र मिसरू
5. इसराईल
6. इब्राहिम पुत्रान भागमल
7. जैनती पुत्री भागमल
8. मजीद
9. सहीद
10. वहीद
11. फजरू
12. आसू पुत्रान असलूप
13. फजरी
14. वहीदन
15. आसूबी पुत्रीयान असलूप कौम मेव साकिन झिवाणा तहसील तिजारा जिला अलवर ।
16. हबीब
17. जमशेद
18. अरसद पुत्रान बसीर
19. रहमती बेवा बसीर कौम मेव साकिन झिवाणा तहसील तिजारा जिला अलवर ।

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

अपील विरूद्ध निर्णय दि0 19.12.13 व डिकी दि0 27.12.13 द्वारा उपखंड अधिकारी,तिजरा

उपस्थित :— 1. वकील अपीलांट :— श्री लक्ष्मणसिंह पोसवाल

2. वकील रेस्पो0 :— बावजूद सूचना उपस्थित नहीं

पर्चा डिकी दिनांक 29.02.2016

अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विद्वान तहत न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.12.2013 एवं डिकी दिनांक 27.12.2013 निरस्त किये जाते हैं तथा वादी अपीलांट का वाद इस प्रकार डिकी किया जाता है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 242 रकबा 15 बिस्वा, 243 रकबा 14 बिस्वा, 246 रकबा 16 बिस्वा, 249 रकबा 16 बिस्वा, 250 रकबा 10 बिस्वा, 253 रकबा 18 बिस्वा, 334 रकबा 12 बिस्वा वाके ग्राम झिवाणा तहसील तिजारा जिला अलवर के निस्फ भाग का वादी अपीलांट को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है । उपरोक्त आराजी के 1/2 भाग (निस्फ भाग) पर से प्रतिवादीगण रेस्पो0 का नाम कलमजन किया जाकर उसके स्थान पर वादी अपीलांट का नाम बतौर खातेदार दर्ज किया जावे । तदनुसार राजस्व रेकार्ड में दुरूस्ती की जाकर अमल दरामद किया जावे ।

(चिरंजीलाल दायमा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

Scanned by CamScanner